



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्र. 1730 / परीक्षा / प्रवेश / 2020

रायपुर, दिनांक 08/09/2020

// अधिसूचना //

राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1 दिनांक 30.07.2020 को कंडिका 2 के तहत रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पूर्व वर्ष की भांति Online Portal 01/08/2020 से Open की गई है।


विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र.1710/परीक्षा/प्रवेश/2020 रायपुर,दिनांक 01.09.2020 के द्वारा तृतीय चरण में महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु दिनांक 05.09.2020 से 08.09.2020 तक की तिथि निर्धारित की गई थी। विश्वविद्यालय के आदेश क्र.1682/परीक्षा/प्रवेश/2020 रायपुर,दिनांक 27.08.2020 के तहत सभी महाविद्यालयों से 01.08.2020 तक प्रवेशित छात्रों की संख्या मांगी गयी थी। प्रवेशित छात्रों की संख्या महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों से कम होने, Covid-19 एवं बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से Online Portal पुनः खोला जा रहा है, जो कि निम्नानुसार है:-

चतुर्थ चरण में प्रवेश हेतु तिथि:-

1	ऑनलाईन प्रवेश पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि	09/09/2020 से 10/09/2020 तक
2	महाविद्यालयों द्वारा विषयवार मेरिट जारी किये जाने की तिथि	11/09/2020
3	महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तिथि	11/09/2020 से 13/09/2020 तक

- टीप:-**1. स्नातक के अन्य कक्षाओं तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाईन प्रवेश शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शन के अनुरूप होगा।  
2. विश्वविद्यालय के लिखित अनुमति लिये बिना कोई भी महाविद्यालय ऑफलाईन प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।  
3. प्रवेश देते समय प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के समय आवेदित छात्र-छात्राओं को भी शामिल किया जाए।

आदेशानुसार,

  
8.9.20


कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 08/09/2020

पृ.क्र. 1731 / परीक्षा / प्रवेश / 2020

प्रतिलिपि:-

1. सचिव माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
2. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
3. सचिव, उच्च शिक्षा महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल-नगर,
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल-नगर,
5. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, प0र0शु.वि.वि.0, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय एवं अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
8. जनसूचना अधिकारी, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।
9. संपादक, समस्त स्थानीय समाचार-पत्र रायपुर/अमर-किरण, दुर्ग/सवेरा-संकेत, राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया उक्त पुनर्परीक्षा की समय-सारणी को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10. संचालक, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, रॉकी (झारखंड) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (परीक्षा)